"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 30, शक 1934

विषय-सूची

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-8/2012/1-8— राज्य शासन, एतदद्वारा श्री जवाहर श्रीवास्तव (भा. प्र. से. सेवानिवृत्त) को, सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-08-2012 द्वारा संसदीय कार्य विभाग में प्रमुख सचिव का पद वेतनमान HAG 67000-79000/- में सृजित करते हुए, प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है. इस अवधि में श्री श्रीवास्तव राज्यपाल के प्रमुख सचिव के दायित्व का भी निर्वाहन करेंगे. श्री श्रीवास्तव की सेवा शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/04/1-3 दिनांक 28-07-2004 [छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004] में उल्लेखित प्रावधानों

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

संविदा नियुक्ति की शर्तें

1. संविदा नियुक्ति वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरु होकर 01 वर्ष के लिए होगी.

2. अपनी संविदा सेवा की अवधि के दौरान संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवक नियोजक से निम्नानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे-

(1) संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगी. इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी.

(2) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 08-05-2008 में संविदा नियुक्ति नियम-2004 के नियम 10 के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अनुसार मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति (31-08-2012) के समय देय मूल वेतन (रुपये-73040/- प्रतिमाह) एवं महंगाई भत्ता, संविदा पदस्थापना के स्थान पर देय मकान किराया भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारित नहीं है तो), पदस्थापना स्थान का देय नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का योग करते हुए इस राशि में से श्री श्रीवास्तव को प्राप्त पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व का) एवं पेंशन पर राहत की राशि घटाने से जो राशि होगी वह राशि श्री श्रीवास्तव को मासिक एकमुश्त संविदा वेतन के रूप में देय होगी. पेंशन एवं पेंशन पर राहत राशि की पात्रता अलग से होगी.

(3) संविदा नियुक्ति सामान्यत: एक वर्ष के लिए होगी. विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी.

(4) सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी.

(5) सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी.

अन्य शर्तें

(6) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

(7) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

(8) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

(9) संविदा नियुक्ति अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी समय हेतु पुन: संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके.

(10) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी.

2. इनकी संविदा नियुक्ति के सेवा शर्तो में वित्त विभाग ने यू.ओ. क्रमांक 481/सी. एन. 1002929/बजट-5/वित्त/चार/2012 दिनांक 29-09-2012 द्वारा सहमति विशेष प्रकरण के रूप में दी है. यह प्रकरण संविदा नियुक्ति के अन्य प्रकरणों के लिये पूर्वोदाहरण नहीं बनेगा.

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्रमांक 2211/2195//2012/1-8/स्था.— श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 18-10-2012 से 31-10-2012 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(2) विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति पृथक से जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक ई 7-07/2003/1/2— डॉ. बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-11-12 से 27-11-2012 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें दिनांक 17, 18 एवं 28 नवंबर 2012 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अग्रवाल को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अग्रवाल को वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. अग्रवाल के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. के. पिंगुआ, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति वि. एवं सामान्य प्रशासन विभाग लिंक अधिकारी रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 05 अक्टूबर 2012

क्रमांक 1267/675/2012/1-8/स्था.— श्री एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 08-10-2012 से 26-10-2012 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ताम्रकार आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ताम्रकार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ताम्रकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 08 अक्टूबर 2012

क्रमांक 1269/661/2012/1-8/स्था.— श्री शशिकांत भार्गव काले, मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 03-10-2012 से 12-10-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री काले आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री काले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री काले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्रमांक 2224/2230/2012/1-8 .— वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30-07-2012 के अनुक्रम में, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, उप संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, की सेवायें वित्त विभाग से लेते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री आलोक कुमार राय, लेखाधिकारी (वित्त सेवा) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवायें वित्त विभाग से लेते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध वित्त विभाग में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक 1275/730/2012/1-8— श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 26-11-2012 से 7-12-2012 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-11-2012 एवं 08, 09-12-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लिखार, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लिखार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्रमांक 1303/752/2012/1-8/स्था.— श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 22-11-2012 से 14-12-2012 तक 23 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 15-12-2012 एवं 16-12-2012 के शासकीय अवकाश के लाभ) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री माथुर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्रमांक 1305/734/2012/1-8/स्था.— श्री एम. एन. राजुरकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 08-11-2012 से 16-11-2012 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 17-11-2012 एवं 18-11-2012 के शासकीय अवकाश के लाभ) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजुरकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजुरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1307/707/2012/1-8/स्था.— श्री विलियम कुजूर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 15-10-2012 से 03-11-2012 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 13-10-2012 एवं 14-10-2012 तथा 04-11-2012 के शासकीय अवकाश के लाभ) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1309/750/2012/1-8/स्था.— श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 12-11-2012 से 19-11-2012 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 10-11-2012 एवं 11-11-2012 के शासकीय अवकाश के लाभ) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 03 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1311/728/2012/1-8/स्था.— श्री ए. एच. सिद्दिकी , अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग को दिनाक 29-10-2012 से 31-10-2012 तक कुल 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिद्दिकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 03 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1313/722/2012/1-8/स्था.— श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 15-10-2012 से 25-10-2012 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 03 दिसम्बर 2012

क्रमांक 1315/726/2012/1-8/स्था.— श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 10-10-2012 से 30-10-2012 तक कुल 21 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 03 दिसम्बर 2012

क्रमांक 6271/तक./परि./2012.—यतः, रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर द्वारा आबूझमाड़िया जनजातियों के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुआयामी सामाजिक सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं. आश्रम के स्वामित्व के विविध प्रकार के मोटरयान, जिसमें एम्बुलेंस तथा स्कूल बस सम्मिलित हैं, का उपयोग, गरीब तथा जनजातीय बच्चों के निःशुल्क आवागमन के लिए तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में किया जा रहा है ;

और यतः, राज्य शासन का मत है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना जनहित में वांछनीय है ;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को उक्त अधिनियम

की धारा 3 के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

सारणी

स. क्र. (1)	वाहन पंजीयन क्रमांक (2)	वाहन का प्रकार (3)
1.	सीजी-17-जेडबी-0301	डीसीएम टोयटा
2.	सीजी-17-जेडए-0140	स्कूल बस
3.	सीजी-17-जेडबी-0153	ट्रक टाटा-608
4.	सीजी-17-जेडजी-0246	ट्रैक्टर-एम.एम.
5.	सीजी-17-जेडजी-0247	ट्रॉली
6.	सीजी-04-डी-3729	मारूति वरसा एम्बुलेंस
7.	सीजी-17-जी-3943	जे. सी. बी. ट्रैक्टर
8.	सीजी-17-जी-3944	ट्रॉली
9.	सीजी-21-एच-0133	टाटा-1109
10.	सीजी-17-ईजी-0256	जीप-ट्रॉली
11.	सीजी-17-जेडडी-0389	टाटा-407, एम्बुलेंस
12.	सीजी-17-जी-0613	टेम्पो, ट्रेवलर
13.	सीजी-21-जी-0148	सोनालिका ट्रैक्टर
14.	सीजी-21-जी-0149	ट्रॉली
15.	सीजी-21-एफ-0102	स्कूल बस
16.	सीजी-21-सी-0127	एम. एम. जीप
17.	सीजी-21-सी-0128	एम. एम. जीप
18.	सीजी-21-डी-0122	टाटा सूमो
19.	सीजी-17-सी-2427	फोर्ड कार

क्रमांक 6271/तक./परि./2012.—Whereas, Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur is indulged in multidimensional social services for the overall development of Abhujhmariya tribes. Various types of motor vehicles, including ambulance and school bus, owned by the Ashram are being used for the free transportation of poor and tribal children and in other social srevices ;

And whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles owned by the Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur from payment of motor vehicle tax in the public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the motor vehicles owned by the Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur as specified in the table below, from payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of issue of this notification, namely :-

TABLE

S. No. (1)	Vehicle Registration No. (2)	Tpye of Body (3)
1.	CG-17-ZB-0301	DCM Toyota
2.	CG-17-ZA-0140	School Bus
3.	CG-17-ZB-0153	Truck Tata-608
4.	CG-17-ZG-0246	Tractor M. M.
5.	CG-17-ZG-0247	Trolley

(1)	(2)	(3)
6.	CG-04-D-3729	Maruti Versa Ambulance
7.	CG-17-G-3943	J. C. B. Tractor
8.	CG-17-G-3944	Trolley
9.	CG-21-H-0133	Tata-1109
10.	CG-17-EG-0256	Jeep Trolley
11.	CG-17-ZD-0389	Tata-407 Ambulance
12.	CG-17-G-0613	Tempo Traveller
13.	CG-21-G-0148	Sonalika Tractor
14.	CG-21-G-0149	Trolley
15.	CG-21-F-0102	School Bus
16.	CG-21-C-0127	M. M. Jeep
17.	CG-21-C-0128	M. M. Jeep
18.	CG-21-D-0122	Tata Sumo
19.	CG-17-C-2427	Ford Car

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. तोमर, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9758/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	लक्षना प.ह.नं. 01	53.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव.	प्रधानपाठ बैराज के डुबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./6/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रायपुर खास प. ह. नं. 46	1399/8, 1399/17, 1399/18, 1404/10, 1404/6, 1404/7, 1409/1, 1410/1, 1411/1	290.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र-2, रायपुर.	पहाड़ी तालाब कुशालपुर से रिंग रोड होकर खारून नदी (चिंगरी नाला) तक नाला निर्माण योजना हेतु.
			1404/1	344.40		
			1399/31, 1399/32, 1399/33, 1404/16, 1404/17, 1409/6, 1410/4, 1411/4	289.60		
			1404/3	495.00		
		योग	04	1419.00		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्रमांक 01 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशेधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.63 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	347	0.30
	348	0.50
	346/4	0.40
	350/4	0.05
	349/4	0.20
	350/5	0.18
योग	06	1.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- 2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत सीधी सड़क निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.